निर्णित
Fx

APP-A
crim-I

FORM NO. III

2018/01123

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत .... नियम ....

मगनाराम बनाम भीमाराम

किस्म मुकदमा 88 RTA Act नं. 86 सन् 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/5/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प खट्टू में पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा भीमरलाई स्टे. में ख.नं. 373 रकबा 43.19 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के हिस्से में अधिक भूमि दर्ज है, क्योंकि उन्हें ख.नं. 333 मौजा बोराला पुरोहितान के किये गये बंटवाडे के वक्त हिस्सा दे दिया था, ~~[illegible]~~ वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की खातेदारी भूमि ख.नं. 371 रकबा 32.06 बीघा है, जिसका बंटवारा किया जावे। राजस्व लोक अदालत केम्प में पसकारान वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित। जिन्होंने आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि ख.नं. 373 रकबा 43.19 बीघा मौजा भीमरलाई स्टे. में वादी सं. 1 मगनाराम के नाम 20.18 बीघा भूमि रखी जावे तथा इस खसरे की शेष रकबे 23.01 बीघा भूमि वादी सं. 2 रूगाराम के नाम रखी जावे, उक्त खसरे में से वादी सं. 3 भूराराम व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 भीमाराम, पेमाराम, आसुराम का नाम हटाया जावे। इसी प्रकार ख.नं. 371 रकबा 32.06 बीघा में से 16.03 बीघा भूमि वादी सं. 3 भूराराम के नाम रखी जावे, शेष रकबा 16.03 बीघा प्रतिवादी सं. 4 गोधुडा के नाम रखी जावे. उक्त खसरा में से वादीगण सं. 1 व 2, तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम हटाया जावे। राजस्व रेकर्ड ख.नं. 371 में जहां गोधुडा दर्ज है के स्थान पर गोरधन पुत्र भींया दर्ज किया जावे। (भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प......	अ.नि. मगनाराम अ.नि. रूगाराम अ.नि. भूराराम अ.नि. भीमाराम अ.नि. पेमाराम अ.नि. गोरधन अ.नि. आसुराम

Scanned by CamScanner

उक्त राजीनामा की इबारत दोनों पक्षकारान को सुनायी, पक्षकारान ने सही होना स्वीकार किया, बाद जांच तस्दीक किया जाता है। च्यूंकि पक्षकारान ने आपसी राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण किया है, माफिक राजीनामा प्रकरण स्वीकार कर डिक्री जारी की जाती है, पक्षकारान की पहचान अधि० श्री भूराराम जाणी द्वारा की गयी। डिक्रीपर्चा ारीहो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को राजस्व कैम्प खट्टू में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कै
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क
बालोतरा कैम्प.........